

**बिहार सरकार**  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री उमेश प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में पदस्थापन के दौरान विचाराधीन बंदी देव नारायण मंडल की समुचित चिकित्सा के अभाव में हुई मृत्यु के संबंध में लापरवाही बरतने, कर्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता के प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 638 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त जांच आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

**2. श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप निम्नवत् है :-**

मंडल कारा, मधुबनी में संसीमित विचाराधीन बंदी देव नारायण मंडल की सदर अस्पताल, मधुबनी में दिनांक 04.02.2005 को हुई मृत्यु के संबंध में जिला पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त बंदी टी0बी0 तथा खून की अत्यधिक कमी की बीमारी से ग्रसित था। कारा के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2005 को बन्दी का ईलाज सदर अस्पताल में कराने हेतु अनुशंसा की गई, किन्तु इनके द्वारा दिनांक 17.01.2005 को सिविल सर्जन से उक्त बंदी के ईलाज के अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

सिविल सर्जन, मधुबनी द्वारा दिनांक 03.02.2005 को उक्त बन्दी के ईलाज की अनुमति प्राप्त हुई। इस बीच इनके द्वारा मात्र पत्राचार कर औपचारिकता का निर्वहन किया जाता रहा। यदि इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिविल सर्जन से सम्पर्क किया जाता तो बन्दी के ईलाज की सुविधा उपलब्ध हो पाती। परन्तु इनके द्वारा पत्राचार करने में व्यर्थ समय नष्ट किया गया, जो इनकी कर्तव्यहीनता, लापरवाही एवं प्रशासनिक अकुशलता का परिचायक है।

श्री सिंह की उक्त लापरवाही के कारण राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश से मृतक बन्दी के परिजनों को रूपया 3,00,000/- (तीन लाख) भुगतान करना पड़ा जिसमें 1,00,000/- (एक लाख) रूपया इनसे बीस किस्तों में वसूलनीय है।

3. आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 967 दिनांक 18.10.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, (विभागीय जांच) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 6711 दिनांक 26.12.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तद्आलोक में श्री सिंह द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 23.03.2015 को समर्पित किया गया।

5. आरोपित के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं आरोपित द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि जब बंदी देव नारायण मंडल कारा में प्रवेश किया तथा आरोपित को इस बात की जानकारी थी कि बंदी पहले से ही टी0बी0 तथा खून की कमी से ग्रसित था, तब अधीक्षक को उक्त बंदी के बेहतर ईलाज हेतु स्वयं तत्पर रहना चाहिए था, न कि मात्र अपने अधीनस्थ जेलर को आदेश देकर तथा सिविल सर्जन को पत्र लिखकर अपना काम समाप्त समझ लेना चाहिए था। इस प्रकार श्री सिंह उक्त बंदी के ससमय एवं समुचित ईलाज कराने में विफल रहे हैं। पुराना कारा हस्तक नियम के नियम 60 एवं 61 के तहत कारा के सम्पूर्ण प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए काराधीक्षक कारा के नियंत्री पदाधिकारी होते हैं। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के अधिगम " आरोपित पदाधिकारी, श्री सिंह को आंशिक रूप से दोषी माना जा सकता है" से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के

तहत निम्न दंड निरूपित करने के विनिश्चय के साथ-साथ 1,00,000/- (एक लाख) रूपया की वसूली किस्तों में करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया :-

“ एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक ”।

7. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2404 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। तद्आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1290 दिनांक 11.08.2015 द्वारा प्रस्तावित “ एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक ” के दंड पर सहमति संसूचित की गई।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एवं प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति की सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4950 दिनांक 21.08.2015 के द्वारा निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“ एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक ”।

इसके अतिरिक्त श्री सिंह की सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2016 को देखते हुए 1,00,000/- (एक लाख) रूपये की वसूली माह अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 तक के वेतन से 20,000/- (बीस हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से पाँच समान मासिक किस्तों में वसूली किये जाने का दंड निरूपित किया गया।

9. संकल्प ज्ञापांक 4950 दिनांक 21.08.2015 के द्वारा श्री सिंह को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया गया। परन्तु वेतनवृद्धि की देय तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई निर्धारित है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति निर्धारित वेतनवृद्धि के देय तिथि के पश्चात् प्राप्त हुई। श्री सिंह दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श देर से प्राप्त होने तथा वेतनवृद्धि की देय निर्धारित तिथि 01 जुलाई बीत जाने के फलस्वरूप उक्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4950 दिनांक 21.08.2015 के द्वारा श्री सिंह को अधिरोपित “ एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक ” का दण्ड प्रभावी नहीं हो सका।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 1903 दिनांक 29.03.2016 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के सम्यक् विश्लेषणोपरान्त श्री उमेश प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्नांकित दंड अधिरोपित किये जाने का पुनर्विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :-

“ दस प्रतिशत (10 %) पेंशन तीन (03) वर्षों तक कटौती का दंड ”।

12. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2702 दिनांक 06.05.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। तद्आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1684 दिनांक 06.09.2016 द्वारा प्रस्तावित “ दस प्रतिशत (10 %) पेंशन तीन (03) वर्षों तक कटौती का दंड ” के दंड पर सहमति संसूचित की गई।

13. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एवं प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति, मामले की विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4950 दिनांक 21.08.2015 के द्वारा पूर्व में अधिरोपित दंड “ एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक ” को संशोधित करते हुए निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है:-

“ दस प्रतिशत (10 %) पेंशन तीन (03) वर्षों तक कटौती का दंड ”।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव वर्मा)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)


ज्ञापांक- कारा/नि०को० (क)-33/10.....दिनांक-.....  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में  
प्रकाशनार्थ (सी०डी०) सहित प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक- कारा/नि०को० (क)-33/10...5748.....दिनांक-19-9-2016.....  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान  
सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त (विभागीय जांच) सह-संचालन पदाधिकारी,  
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त काराधीक्षक,  
ग्राम+पो०-बभनी, थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा, बिहार/कारा महानिरीक्षक कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी,  
स्थापना शाखा (प्रशाखा-01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय  
कारा, भागलपुर/अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा एवं आई० टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वृत्ताधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को निदेश है कि दंडादेश का अनुपालन सुनिश्चित कर  
अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

  
19-9-16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)